

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग (60)

जयपुर दिनांक 12 MAY 2017

क्रमांक प-3(3)नवि/3/2011 पूर्व

प्रमुख, संयुक्त सचिव,
संयुक्त शासन विभाग,
जयपुर।

आयुक्त/सचिव,
नगरपालिका/नगरपालिका विकास प्राधिकरण,
जयपुर।
सचिव,
नगर विकास न्यास (सम्पन्न),
राजस्थान।

विषय-मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना-2017 के क्रम में।

राजस्थान

संयुक्त शासन विभाग द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 के तहत

नगरपालिका/नगरपालिका विकास प्राधिकरण

1. अधिसूचना क्रमांक प-9(20)राज 6/2012 दिनांक 12.04.2017 द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 58-ए के तहत नियुक्त अधिकृत अधिकारियों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 53 की उप धारा (2)(i) एवं उसके अन्तर्गत की शर्तों के तहत भूमि विभाजन के लिए तहसीलदार पर प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत किया गया है।

2. अधिसूचना क्रमांक प-9(20)राज 6/2012 दिनांक 12.04.2017 द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 58-ए के तहत नियुक्त अधिकृत अधिकारियों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 53 की उप धारा (2)(i) एवं उसके अन्तर्गत की शर्तों के तहत भूमि विभाजन के लिए तहसीलदार पर प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत किया गया है।

3. अधिसूचना क्रमांक 12.04.2017 द्वारा राज्य सरकार समस्त नायब तहसीलदारों को तहसीलदार पर प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत किया गया है।

सम्बन्धित अधिनियमों के अनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करे।

संयुक्त शासन विभाग

(संयुक्त शासन सचिव-प्रथम)

संयुक्त शासन विभाग के समक्ष एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

निराकर, सहायक निवास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।

संयुक्त शासन विभाग, संयुक्त शासन विभाग, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।

संयुक्त शासन विभाग, संयुक्त शासन विभाग, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।

संयुक्त शासन विभाग

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-8) विभाग

क्रमांक प-3(126)राज-6/2012/18

जयपुर, दिनांक- 12.05.2012

— अधिसूचना —

राजस्थान मूल राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 की अधिनियम संख्या 15) की धारा 90 की
द्वारा (1) के तहत (घ) प्रावधानों के अन्तर्गत प्रयोग करने हेतु राजस्व राजस्थान
मूल राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-ए के तहत नियुक्त प्राधिकृत अधिकारियों को राजस्थान
मूल राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत तहसीलवार पर पदतल शक्तियों एवं अधिकारों
कर्तव्यों को उनके क्षेत्राधिकार में प्रयोग करने हेतु एतद्वारा अधिकृत करती है।
यह अधिसूचना दिनांक 30.09.2017 तक प्रभावशील रहेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से

(संयुक्त सचिव)

संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि— भोजन को सुगमता एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. निजी सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान।
2. निजी सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान।
3. निजी सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान।
4. निजी सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान।
5. निजी सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान।
6. निजी सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान।
7. निजी सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान।
8. निजी सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान।
9. निजी सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान।
10. निजी सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान।
11. निजी सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान।
12. निजी सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान।
13. निजी सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान।
14. निजी सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान।
15. निजी सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान।

संयुक्त सचिव

18

राजस्थान सरकार

ग्रामस्थ (ग्राम-8) विभाग

अधीनकारी पत्र-9/1958

अधिसूचना

राजस्थान में राजस्व अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम संख्या 15) की धारा 260 के उप-धारा (1) में खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार राजस्थान में राजस्व अधिनियम, 1958 की धारा 260 के तहत निम्नलिखित प्राधिकार अधिनियमों को राजस्थान में लागू करने के लिए अधिनियम, 1958 (अधिनियम 1 वर्ष 1958) की धारा 43 के उप-धारा (2) के अन्तर्गत अन्तर्गत बने नियमों के तहत भूमि विभाजित के लिए तहसीलदार पर प्रयुक्त शक्तियों एवं अधिकारों को उनके क्षेत्राधिकार में प्रयोग करने हेतु एतद्वारा अधिकृत करती है।

यह अधिसूचना दिनांक 30.09.2917 तक प्रभावशील रहेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से

(सोपान सिंह)

सोपान सिंह

संज्ञित निम्नलिखित अधिकारियों को सूचित किया जाता है-

1. मि. जी. रायचंद, जिला मुख्यालय, जयपुर।
2. मि. जी. सचिव, राज्य सरकार, जयपुर।
3. मि. जी. सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. मि. जी. सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरपालिका विभाग, जयपुर।
5. मि. जी. सचिव, नगरपालिका विभाग, जयपुर।
6. मि. जी. सचिव, नगरपालिका विभाग, जयपुर।
7. मि. जी. सचिव, नगरपालिका विभाग, जयपुर।
8. मि. जी. सचिव, नगरपालिका विभाग, जयपुर।
9. मि. जी. सचिव, नगरपालिका विभाग, जयपुर।
10. मि. जी. सचिव, नगरपालिका विभाग, जयपुर।
11. मि. जी. सचिव, नगरपालिका विभाग, जयपुर।
12. मि. जी. सचिव, नगरपालिका विभाग, जयपुर।
13. मि. जी. सचिव, नगरपालिका विभाग, जयपुर।
14. मि. जी. सचिव, नगरपालिका विभाग, जयपुर।
15. मि. जी. सचिव, नगरपालिका विभाग, जयपुर।

(सोपान सिंह)

कमाक प-9/126 गज-8/2012/98

जयपुर जिलाक - 12-04-57

PLASTIC

राजस्थान में राजस्थान अधिनियम 1986 (1986 का अधिनियम संख्या 15) की धारा 280 को संपर्क (1) के खण्ड (ख) संपत्ति धारा 26 उप-धारा (1) खंड (क) द्वारा प्रदान शक्ति को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार ने राज्य न्यायालयों को न्यायालय पर प्रदान शक्तियों के अधिनियम के अन्तर्गत श्रेणीकरण प्रयोग करने हेतु एतद्वारा अधिसूचना जारी की है।

पुष्पपाल ली भाडा जे

(प्रीति)

संयुक्त शासन संस्था

पानिनी (१) - विष्णु का पूजन आदि आज्ञाओं कायसाही ६५ प्रादे = ६५

विज्ञान सन्तान सुप्रसन्न मध्यामरी महोदय ।

विश्वविद्यालय, अमरावती, महाराष्ट्र, भारत

1950-1951

विश्वविद्यालय, आन्ध्रप्रदेश, कृतिम, पत्तरीय, दिवात, विभाग, जयपुर, २०

SECRET

U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION

विद्यार्थक संस्थान आदित्य

महाराष्ट्र शासन, न्याय विभाग, मुंबई

सिद्धि विगत विपुल दिनाङ्क तयपुर

मो अशिसूत्रा नो शानपुन विधायक

प्रकाशन हेतु ।
संविदा राजशा मण्डल आचारधाम

समस्त नृपसुत भ्राता राजा राजा राजा दिवा

[illegible]

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

DATE: 10/27/71

संग्रहः राजपुत्राणां